

कार्यालय सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

विज्ञापित

सर्वसाधारण की जानकारी हेतु विज्ञापित एवं प्रसारित है कि शासन ने पत्र संख्या-1046/15-7-2018-1(08)/2017 दिनांक-05 जुलाई, 2018 द्वारा परिषद विनियमों के अध्याय-सात के विनियम-3 (क) तथा 3(ख) में निम्नांकित संशोधन कर दिये गये हैं:-

विनियम-3(क) हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट के द्विवार्षिक परिषदीय सत्र हेतु मान्यता प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र विहित प्रपत्र पर (मान्यता हेतु निर्धारित शुल्क के साथ) आवेदन सम्यक रूप से वांछित प्रमाण-पत्रों सहित आन लाइन भरा जायेगा। आन लाइन आवेदन पत्र उस वर्ष के लिये जिसमें कक्षाओं को खोलने की प्रस्तावना हो, के पूर्ववर्ती वर्ष की 01 अप्रैल से 15 जुलाई (बिना विलम्ब शुल्क के) तक स्वीकार किया जायेगा। 16 जुलाई से 31 जुलाई तक आवेदन पत्र विलम्ब शुल्क के साथ आन लाइन स्वीकार किये जायेंगे। 31 जुलाई के पश्चात् कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

3(ख) जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आन लाइन प्राप्त आवेदन पत्रों पर निम्नांकित तिथियों के अनुसार मान्यता के आवेदन-पत्रों की सूची, जिसमें विद्यालय का नाम, आवेदित परीक्षा वर्ष तथा हाईस्कूल नवीन अथवा सीधे एवं इण्टर नवीन/वर्ग/विषय का उल्लेख हो, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय सचिव को आन लाइन उपलब्ध कराया जायेगा:-

1- 15 जुलाई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों की सूची- 31 जुलाई तक।

2- 31 जुलाई तक प्राप्त आवेदन-पत्रों (विलम्ब शुल्क सहित) की सूची- 16 अगस्त तक।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा संस्था का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या एवं संस्तुति प्रेषित करने की अन्तिम तिथि 15 नवम्बर।

मान्यता आवेदन करने हेतु परिषद की वेबसाइट upmsp.edu.in क्रियाशील कर दी गई है। मान्यता हेतु इच्छुक संस्थाधिकारी निर्धारित तिथि तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-परिषद-9/ 371-0

दिनांक- 09-7-2018

उक्त की प्रति निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- प्रदेश के समस्त समाचार पत्रों के मुख्य सम्पादकों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त विज्ञापित अपने समाचार पत्र में प्रमुख स्थान पर निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2- उपसचिव, उत्तर प्रदेश शासन, शिक्षा अनुभाग-7, लखनऊ।
- 3- शिक्षा निदेशक (मा0) शिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड, लखनऊ।
- 4- समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 5- समस्त संभागीय उपशिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 7- क्षेत्रीय सचिव, मा0शि0प0, क्षेत्र0का0, मेरठ, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद तथा गोरखपुर।
- 8- उपसचिव (सिस्टम सेल) मुख्यालय, इलाहाबाद।

(नीना श्रीवास्तव)
सचिव।